महत्वपूर्ण

संख्या- 10/2018/1204/14-5-2018-187/2017

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-5 लखनऊ, दिनांक, 21 अगस्त,2018

विषयः-15 अगस्त, 2018 को किये गये वृक्षारोपण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1024/14-5-2018-187/2018, दिनांक 12.07.2018 एवं शासनादेश संख्या-1131/14-5-2018-187/2017, दिनांक 04.08.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की अपेक्षानुसार दिनांक 15 अगस्त, 2018 को 09.00 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य प्राप्त हो गया है। इस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु तैयारी के लिए यद्यपि समय काफी कम था, किन्तु आपके द्वारा किये गये अथक प्रयास के परिणामस्वरूप विभिन्न विभागों के परस्पर सामंजस्य एवं व्यापक जनसहभागिता से न केवल इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सका है बल्कि **9 करोड़** से अधिक पौध रोपित कर एक कीर्तिमान स्थापित किया गया है। इस सराहनीय कार्य के लिए जिला वृक्षारोपण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव प्रशंसा एवं बधाई के पात्र हैं तथा आप सभी के सहयोग से भविष्य में इससे भी बड़ा कीर्तिमान किया जा सकता है।

3- उक्त के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या-1024/14-5-2018-187/2018, दिनांक 12.07.2018 द्वारा निर्देश दिये गये थे कि प्रत्येक रोपण स्थल पर स्मार्टफोन से **Latitude & Longitude** सहित फोटोग्राफी दिनांक 10.08.2018 तक तथा सेक्टर एवं जोनल अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण स्थलों का निरीक्षण एवं जीवितता का सत्यापन दिनांक 15.09.2018 से 30.09.2018 तक किया जायेगा। उक्त निर्देशों के क्रम में रोपित किये गये पौधों की जीओ टैगिंग (**Latitude & Longitude**) सहित फोटोग्राफी, स्थलीय सत्यापन तथा अनुश्रवण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:-

1- सम्बन्धित जिलाधिकारी अन्य विभागों द्वारा कराये गये वृक्षारोपण स्थलों की जीओ टैगिंग सहित फोटोग्राफी अनिवार्यतः दिनांक 23.08.2018 तक अवश्य करा लें। इस हेतु **GOOGLE PLAY STORE** पर **15 August : Plantation 9cr.** के नाम से मोबाइल एप विकसित किया गया है,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जिसके सम्बन्ध में प्रत्येक जनपद के विभिन्न विभागों के यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों को उपलब्ध करा दिये गये हैं। उक्त मोबाइल एप के माध्यम से प्रत्येक विभाग, प्रत्येक जनपद में किये गॅये समस्त वृक्षारोपण क्षेत्रों के 2-2 फोटो अपलोड करेगें, जिसके द्वारा प्रश्नगत क्षेत्रों को जीओ टैगिंग मोबाइल एप द्वारा स्वत: कर ली जायेगी।

2- वृक्षारोपण स्थलों की जीओ टैगिंग के तत्काल बाद अन्य विभागों के सभी वृक्षारोपणों का स्थलीय सत्यापन, जीवितता का सत्यापन जिला वृक्षारोपण समिति के माध्यम से सेक्टर एवं जोनल अधिकारियों द्वारा समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कराकर सूचना उपलब्ध कराई जाय।

4- वृक्षारोपण अभियान की सफलता तभी सार्थक होगी जब रोपित किये गये पौधों की जीवितता सुनिश्चित हो। इस हेतु रोपित किये गये पौधों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जाये तथा कालान्तर में आवश्यकतानुसार रख-रखाव एवं सिंचाई आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय। साथ ही रोपित किये गये पौधों के सफलता का अनुश्रवण/मूल्यांकन वन विभाग की भांति निरन्तर किया जाय।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त आदेशों का कडाई पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

भवदीय

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

संख्या- 1204(1)/14-5-2018 तदिनांक

प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।